प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग,
कासगंज/मथुरा ।

संख्या- /बजट/29(5)/अनु0-15/04/2018-19 दिनांक 07/12/2018

विषयः- पशुरोग नियंत्रण योजना (60प्रति0के0पो0)(सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए धनराशि का आॅवटन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-78/2018/2315/सैतीस-2-2018-1(77)/03टीसीII, दि0 12-07-2018 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र के पत्र सं0-1119/सा0-एक/एक्स-120(4)/2018-19, दि0 07-12-2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपदवार फॉट के अनुसार मानक मद 42-अन्य व्यय मद में रू0 82000.00(रूपये बयासी हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न Allotment Grid Report के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन धनराशि आपको आॅवटित की जाती है।शर्तो से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगें ।

(1) आॅवटित धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों मेंभारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत ही किया जाये ।

(2) आॅवटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में संग्रहित/जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक,प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ का होगा ।

(3) आॅवटित की जा रही धनराशि से योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों,उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आॅफ गुडस्)-2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(4) आॅवटित की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा । वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

(5) आॅवटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा ।

(6) आॅवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 तथा शा0सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय ।

(7) एतद्संबंधी उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक "2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियन्त्रण कार्यक्रम-0205-पशुरोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

(8) आॅवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आॅवटन रजिस्टर के क्रम संख्या-04 (अनु0-15) पर अंकित कर ली गई है।

संलग्नकःयथोपरि ।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक ।

संख्या- 1063 /बजट/29(5)/अनु0-15/04/2018-19 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कासगंज/मथुरा ।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-I)/लेखानुभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(3) अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ0प्र0शासन, सचिवालय,लखनऊ ।

(4) निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ को उनके पत्र सं0-1119/सा0-एक/एक्स-120(4)/2018-19, दिनांक 07-12-2018 के कम में सूचनार्थ ।

(5) योजनाधिकारी संयुक्त निदेशक(रो0नि0),मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि आपके उपरोक्त प्रस्तावानुसार धनराशि का आॅवटन संबंधित आ0वि0अ0 को किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से संबंधित आ0वि0अ0 को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए व्यय की सघन समीक्षा कर स्थित से सं0नि0 (नि0),मुख्यालय को भी अवगत करने का कष्ट करें।

(6) संयुक्त निदेशक (नियोजन),मुख्यालय ।

(7) संयुक्त निदेशक,(ई0पी0डी0),मुख्यालय ।

(8) कम्प्यूटर सुपरवाइजर,मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आॅवटन को विभागीय वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।

(9) व्यय सहायक, बजट अनुभाग,मुख्यालय ।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक ।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-07/12/2018

प्रेषण संख्या:- 1063
आवंटन आदेश संख्या:- 003-29-5-ANU-15-04-2018-19
अनुदान संख्या:- 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य
02 - राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम
05 - पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मथुरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	66000 107000	66000 107000
2	कांसगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	16000 16000	16000 16000
	योग	वर्तमान प्रगामी	**82000** **123000**	82000 123000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बयासी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक लाख तेइस हजार

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक